दूरसंचार विधेयक, 2023 को पेश किए जाने का कदम

द हिंदू

पेपर- II (राजव्यवस्था)

दूरसंचार विधेयक, 2023 को पेश किए जाने का कदम वायरलेस नेटवर्क और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए कानून को मजबूत करने के केंद्र सरकार के दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। इसमें 46 पेज का वह कानून शामिल है जो दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस और परमिट के लिए आवेदन करने जैसे नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए मौजूदा नियामक संरचनाओं को काफी हद तक बरकरार रखता है। लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने की तैयारी है और दूरसंचार ऑपरेटर के पास जहां अपने लाइसेंस शर्तों के गैर-अनुपालन से निपटने का एक नया तरीका होगा। वहीं सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर अपने उपकरण एवं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करते समय इजाजत और विवाद के समाधान के लिए जिला एवं राज्य-स्तरीय अधिकारियों तक पहुंच भी होगी। यह विधेयक लंबे समय से कम से कम कुछ दूरदराज के इलाकों के लिए नेट कनेक्टिविटी हासिल करने का एक जरिया माने जाने वाले उपग्रह इंटरनेट उद्योग को भी राहत की सांस लेने की इजाजत देता है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उसे स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की जरूरत नहीं होगी और इस तरह, भारत भी अन्य देशों के साथ इस मोर्चे पर बराबर की स्थिति में आ जाएगा। दूरसंचार उद्योग के विभिन्न संघों ने उनके नियामक संबंधी परिदृश्य को सुव्यवस्थित करने और व्यापार करने में आसानी से बढ़ावा देने के लिए इस विधेयक का स्वागत किया है और यह विधेयक संभवत: दूरसंचार विस्तार के अगले चरण के लिए बेहद जरुरी नियामक संबंधी स्थिरता और समर्थकारी वातावरण प्रदान कर

दूरसंचार विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

उद्देश्य

- विधेयक दूरसंचार सेवाओं, नेटवर्क, स्पेक्ट्रम असाइनमेंट आदि के विकास, संचालन और विस्तार से संबंधित नियमों को संशोधित करता है।
- दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए प्राधिकरण को केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है-
  - i) दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए
  - ii) दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने या विस्तार करने
  - iii) रेडियो उपकरण रखने के लिए

स्पेक्ट्रम का आवंटन :

- निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर, स्पेक्ट्रम नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। कुछ विशिष्ट उपयोग के मामलों में, इसे प्रशासनिक आधार पर (सरकार द्वारा) आवंटित किया जाएगा। इनमें शामिल हैं:
  - i) राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा
  - ii) आपदा प्रबंधन
  - iii) मौसम का पूर्वानुमान
  - iv) परिवहन
  - v) सैटेलाइट सेवाएं जैसे डीटीएच और सैटेलाइट टेलीफोनी
  - vi) बीएसएनएल, एमटीएनएल, और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएँ।
- केंद्र सरकार किसी भी फ्रीक्वेंसी रेंज का पुन: प्रयोजन या पुनर्निर्धारण कर सकती है और स्पेक्ट्रम को साझा करने, पट्टे पर देने और आत्मसमर्पण करने की अनुमति दे सकती है।

डिजिटल भारत निधि:

- वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पुराने फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है, जिसमें अनुसंधान एवं विकास को शामिल करने के लिए इसके उपयोग का विस्तार किया गया है।

ओटीटी ऐप्स और संचार प्लेटफार्मों का बहिष्कार-

- बिल व्हाट्सएप जैसे ओवर-द-टॉप (ओटीटी) ऐप्स और संचार प्लेटफार्मों को दूरसंचार सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने से बाहर रखता है।

सकता है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी 'आपस में जुड़ी' दुनिया के हाशिए पर है और यह विधेयक ऐसी स्थिति में मददगार साबित हो सकता है।

लेकिन दिक्कतें कायम हैं: दूरसंचार की विस्तृत परिभाषा अपने दायरे में सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समेटे हुए है और उनपर राज्य का अधिकार गोपनीयता एवं निगरानी संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है। राज्य-प्रायोजित जासूसी के पिछले आरोपों को देखते हुए ये चिंताएं महज अकादमिक नहीं हैं। यह विधेयक स्पैमिंग संबंधी चिंताओं से निपटने का प्रयास करता है, लेकिन इसके प्रस्तावित उपायों के लिए गोपनीयता से अतिरिक्त समझौते करने की जरूरत पड़ेगी। निगरानी संबंधी सुधार तथा इंटरनेट शटडाउन के मुद्दों के व्यापक निहितार्थ हैं और इन्हें सिर्फ इसलिए टाला नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये विवादास्पद हैं।

इस विधेयक के पाठ में हासिल व्यापक शक्तियों के मद्देनजर, सरकार को इन चिंताओं पर खुले दिमाग से गौर करना चाहिए। जब अंतिम मसौदे को सार्वजनिक रूप से परामर्श के लिए जारी किया गया था, तो उद्योग सघों एवं जनता की प्रतिक्रियाओं की पड़ताल पर रोक लगा दी गई थी। जनता को अपने साफ-सुथरे मकसदों के बारे में और ज्यादा आश्वस्त करने के लिए, सरकार को पूरी पारदर्शिता और परामर्श के साथ ईमानदारी से नियम तय करने चाहिए। यह खासतौर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिनियम के कई प्रावधानों को लागू होने से पहले दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित अधीनस्थ विधान की जरुरत होगी। उन्नीसवीं सदी में पहली बार टेलीग्राफ अधिनियम पारित होने के बाद से दूरसंचार परिदृश्य नाटकीय रूप से विकसित हुआ है और इंटरनेट दुनिया के विनियमन एवं कानून निर्माण को इस डिजिटल विस्फोट के साथ सामने आए सभी मुद्दों को व्यापक रूप से हल करने की जरुरत है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : दूरसंचार विधेयक, 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम, 1997 में संशोधन करता है।
2. यह ओटीटी ऐप्स दूरसंचार सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to the Telecommunications Bill, 2023-

1. It amends the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) Act, 1997.
2. It classifies OTT apps as telecommunication services.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : A

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: दूरसंचार विधेयक, 2023 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा कीजिए साथ ही इसमें मौजूद चिंता के बिंदुओं का भी वर्णन कीजिए।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में दूरसंचार विधेयक, 2023 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें।
- दूसरे भाग में दूरसंचार विधेयक, 2023 से जुड़े चिंता के बिंदुओं की भी चर्चा कीजिए।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत: इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।